मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम

राज्य में गत पाँच वर्षों में मातृ मृत्यु अनुपात में कमी का आकलन भारत सरकार के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा कराये गये Sample Registration System के सर्वेक्षण के परिणाम निम्न रेखाचित्र में दर्शाए गए हैं ।

मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट (Maternal Mortality Ratio-MMR)

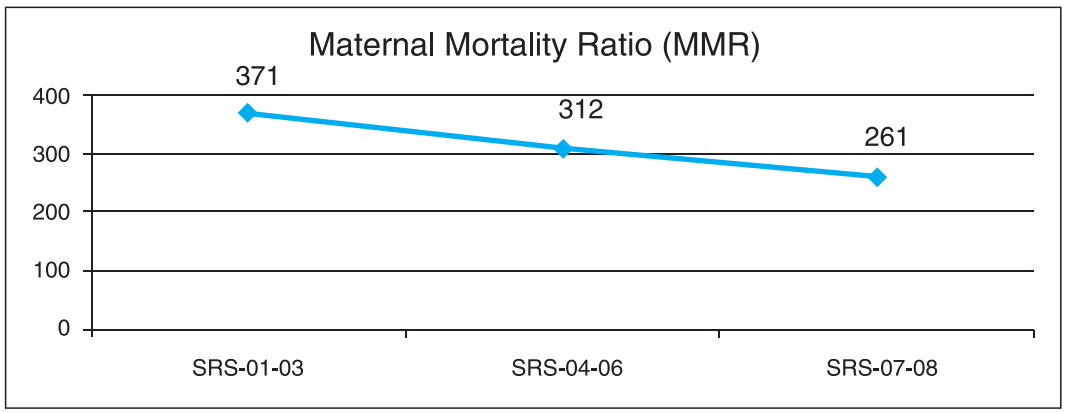

उपर्युक्त रेखाचित्र से परिलक्षित है कि विगत वर्षों में राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात में लगातार कमी हुई यथा 2005 में मातृ मृत्यु अनुपात 371 था जो कि कम होकर 2007–08 में 261 हो गया है ।

राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात में आगामी पाँच वर्षों से राष्ट्रीय औसत से बेहतर बनाये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को गति प्रदान की जा रही है :

जननी एवं बाल सुरक्षा योजना

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान जननी एवं बाल सुरक्षा योजना में किया गया है ।

यह योजना को बिहार में जुलाई, 2006 से प्रारंभ किया गया है । इस योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव के लिए गर्भवती माताओं एवं आशा कार्यकर्त्ता को निम्नलिखितानुसार प्रोत्साहन राशि देय है:–

	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए		शहरी क्षेत्रों के लिए	
	लाभार्थी (गर्भवती)	(आशा / आंगनवाड़ी महिला)	लाभार्थी (गर्भवती सेविका)	(आशा / आंगनवाड़ी सेविका)
गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन	—	₹ 100/—	—	₹ 100/—
प्रसव पूर्व जाँच 1, 2 एवं 3	₹ 300/—	₹ 100/—	₹ 300/—	₹ 50/—
आई.एफ.ए. 1, 2 एवं 3	₹ 300/—	₹ 100/—	₹ 300/—	₹ 50/—
टी.टी. 1 एवं 2	₹ 100/—		₹ 100/—	
बी.सी.जी. टीकाकरण	—	₹ 100/—	—	
संस्थागत प्रसव कराने पर मिलने वाली राशि	₹ 700/—	—	₹ 300/—	—
वाहन की व्यवस्था ए.एन.एम./आशा/आंगनवाड़ी अथवा गर्भवती महिला	₹ 200/—	—	—	—

संस्थागत प्रसव पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि

ग्रामीण क्षेत्रों में 1400/— प्रत्येक गर्भवती महिला को व आशा को 400/— रूपये एवं वाहन की व्यवस्था कराने पर 200/— रूपये अतिरिक्त राशि तथा शहरी क्षेत्र के महिला लाभार्थी को 1000/— रूपये व आशा/आंगनवाड़ी सेविका को 200/— रूपये की राशि देय है ।

उपलब्धि

गत वित्तीय वर्ष 2010—11 में राज्य में प्रति माह औसतन एक लाख से बढ़कर चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 में प्रति माह औसतन एक लाख उन्नीस हजार संस्थागत प्रसव सरकारी अस्पताल में हो रहे हैं ।

राज्य की वर्षवार संस्थागत प्रसव में वृद्धि निम्नांकित ग्राफ में परिलक्षित है -

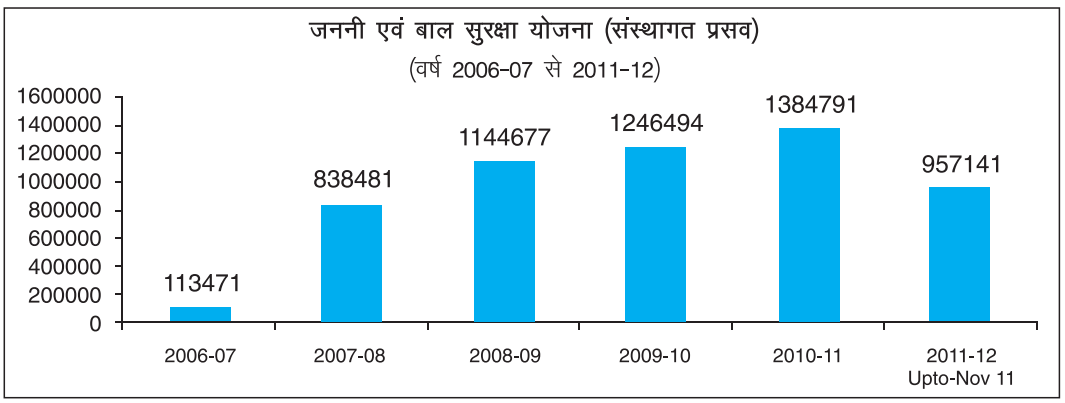

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र (एम.सी.एच. केन्द्र)

गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान कराने एवं मातृ मृत्यु अनुपात, शिशु मृत्यु–दर को कम करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस क्रम में हर गर्भवती एवं शिशु के देखभाल हेतु तीन स्तर पर एम.सी.एच केन्द्र का कार्यान्वयन किया जा रहा है। और इस संदर्भ में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र (एम०सी०एच० केन्द्र) हेतु लेवल–1 के रूप में प्रत्येक प्रखण्ड से एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिले से दो उपस्वास्थ्य केन्द्रों का चयन किया गया है।

प्रसव एवं नवजात शिशुओं के देखभाल हेतु मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र (एम०सी०एच० केन्द्र) लेबल–1 के रूप में चयनित स्वास्थ्य संस्थान को विकसित करने के लिए राज्य स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश विकसित कर सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। विस्तृत दिशा निर्देश एवं Suggested list के आधार पर जिलों द्वारा कार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी 12 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 4 स्वास्थ्य उप–केन्द्रों में एम०सी०एच० केन्द्र के रूप में प्रसव करवाया जा रहा है।

प्रथम रेफरल इकाई

राज्य में 149 प्रथम रेफरल इकाई (FRU) निर्धारित है । इसमें 35 सदर अस्पताल, 20 अनुमण्डलीय अस्पताल, 14 रेफरल अस्पताल एवं 06 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 1 लेडी एल्गिन जनाना अस्पताल, गया है। 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में से दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 14 रेफरल अस्पताल में से तीन रेफरल अस्पतालों का उत्क्रमण हो चुका है।

चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निकट में रेफरल या अनुमण्डलीय अस्पताल कार्यरत हो गये है। राज्य में कार्यरत सभी सदर अस्पताल, अनुमण्डलीय अस्पताल एवं रेफरल अस्पताल को प्रथम रेफरल ईकाई के रूप में घोषित किया गया है।